वर्ष 2011–12 हेतु आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ– 61/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2011–12 दिनांक 15 अप्रैल–2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–307/26–ब0प्र0–2011–17(बजट)/2010, दिनांक 11–4–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27,500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि रु0 2750.00 लाख (रु0 सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि रू0 24750.00 लाख (रूपये दो अरब सैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र) में से अवशेष धनराशि रु0 7596.63 लाख (रूपये पचहत्तर करोड़ छियानन्वे लाख तिरसठ हजार मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

1– आवंटित की जा रही धनराशि से अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को शासन के निर्देशों के अनुरुप सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लाभान्वित किया जायेगा तथा इस हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–177/38–9–10–13ब/2006, दिनांक 14–01–2010 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 1604/वि0 का0/म.आ.यो./10–11 दिनांक 19 मई 2010 के अनुसार लाभार्थियों की तैयार सूची उपयोग में लायी जायेगी।

2– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को जनपद सुल्तानपुर एवं रायबरेली से सम्मिलित विकास खण्डों में सर्वेक्षित परिवारों की संख्या के आधार पर अनुपातिक धनराशि तत्काल हस्तान्तरित की जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए ।

3– आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

6– आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय ।

7— आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या—83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय—03—ग्रामीण आवास——आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—03—महामाया आवास योजना—35—पूंजीगत परिसम्पित्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

9— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या—187 पर कर ली गई है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

15/4/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉक:—जीओ— 61 /सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2011—12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
3— प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/राज्य योजना आयोग—2/नियोजन अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2।
8— नियोजन अनुभाग—4, उ0प्र0शासन।
9— ग्राम्य विकास अनुभाग—3/4, उ0प्र0शासन।
10— संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प0शासन को शासनादेश संख्या—307 /26— ब0प्र0— 2011—17(बजट)/2010, दिनांक 11—4—2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_lay 2010.doc

पत्र संख्या–जीओ–61 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(एस0सी0पी0) / 2011–12, दिनांक 15 अप्रैल–2011 का संलग्नक

(2)

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	16.20	25.65
3	BULANDSHAHAR	0.00	166.95
4	G.B. NAGAR*	0.00	5.85
5	BAGPAT	4.50	4.50
6	SAHARANPUR	0.00	296.10
7	MUZAFARNAGAR	0.00	90.45
8	MORADABAD	24.75	118.35
9	BIJNOR	197.10	197.10
10	RAMPUR	0.00	81.90
11	J.B.F. NAGAR	7.65	26.10
12	BAREILLY	158.85	256.05
13	BADAUN	9.00	400.05
14	SHAHJAHANPUR	0.00	876.15
15	PILIBHIT	44.55	269.55
16	AGRA	4.95	68.40
17	MAINPURI*	46.80	172.35
18	MATHURA	0.00	164.70
19	FIROZABAD	0.00	58.50
20	ALIGARH	26.55	138.15
21	ETAH	0.00	77.40
22	KANSHIRAM NAGAR	0.00	75.15
23	HATHRAS	0.00	11.70
24	JHANSI	0.00	286.15
25	JALAUN	119.80	168.30
26	LALITPUR	9.70	276.45
27	BANDA	40.74	331.74
28	HAMIRPUR	0.00	86.33
29	MAHOBA	175.57	175.57
30	CHITRAKUT	0.00	446.69
31	ALLAHABAD	0.00	521.55
32	FATEHPUR	976.95	976.95
33	PRATAPGARH	0.00	675.00
34	KAUSHAMBHI	0.00	317.70
35	KANPUR NAGAR	0.00	133.65
36	KANPUR DEHAT	0.00	497.70
37	ETAWAH	0.00	155.25
38	FARRUKHABAD	0.00	136.35
39	KANNAUJ	0.00	260.10
40	ORRAIYA	0.00	97.20
41	VARANASI	0.00	228.15
42	GHAZIPUR	0.00	420.75
43	JAUNPUR	503.10	1033.20
44	CHANDAULI	0.00	0.00

पत्र संख्या–जीओ–61/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एस0सी0पी0)/2011–12, दिनांक 15 अप्रैल–2011 का संलग्नक

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
45	MIRZAPUR	1.80	316.80
46	SONBHADRA	0.00	0.00
47	SANT RAVIDAS NAGAR	212.85	212.85
48	LUCKNOW	0.00	486.90
49	SITAPUR	0.00	1744.65
50	UNNAO	0.00	613.35
51	HARDOI	0.00	1111.95
52	KHERI	1377.45	1781.10
53	RAE BARELI	445.05	445.05
54	CHHTARAPATI SHUJIMAHARAJNAGAR	0.00	0.00
55	GORAKHPUR	348.30	348.30
56	DEORIA	0.00	77.40
57	KUSHINAGAR	0.00	149.85
58	MAHRAJGANJ	203.40	488.25
59	BASTI	56.70	276.30
60	SIDHARTHNAGAR	0.00	355.50
61	SANT KABIR NAGAR	4.50	240.75
62	AZAMGARH	577.80	577.80
63	MAU	56.70	383.85
64	BALLIA	611.10	1056.60
65	FAIZABAD	0.00	297.45
66	BARABANKI	168.30	1053.00
67	SULTANPUR	649.77	1069.17
68	AMBEDKARNAGAR	0.00	294.30
69	GONDA	484.20	484.20
70	BAHRAICH	13.05	13.05
71	BALRAMPUR	18.90	18.90
72	SHRAWASTI	0.00	46.80
	STATE TOTAL	7596.630	24750.000

(रूपये पचहत्तर करोड़ छियानन्वे लाख तिरसठ हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या- 307 /26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 11 अप्रैल, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-02/सम्प्रेक्षा/महा0आं0यो0/2011-12 दिनांक 01 अप्रैल,2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27500.00 लाख (रू0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा ।

7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

........2/-

(6)

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 307(1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
✓5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

(7)

संख्या- 307 /26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 11 अप्रैल, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-02/सम्प्रेक्षा/महा0आ0यो0/2011-12 दिनांक 01 अप्रैल,2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27500.00 लाख (रू0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा ।

7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

........2/-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-307 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।